



ब्लाक नं. 04, शक्ति भवन, विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर - ४८२००८

ई मेल -

फैक्स. 0761-2702710, 0761-2702200



क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-60/ 2296

जबलपुर, दिनांक 24-09-2018

आदेश

म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि० के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दि. 30.12.2015 के द्वारा तृतीय विकल्प समयमान वेतनमान (Third Time Scale Pay Scale on completion of 30 years service) का लाभ म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि० के कर्मियों हेतु, उक्त आदेश के साथ संलग्न Terms and conditions प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित रेखण ~~क्रमांक~~ (सिविल) को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार 30 वर्षीय तृतीय विकल्प, नियम के अंतर्गत वरिष्ठ मानचित्रकार (सिविल) के पद का उच्च वेतनमान, वेतन संवर्ग ई-7, वेतन बैंड-2 में वेतनमान रु 9300-34800/- सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 4100/- तथा पुनरीक्षित सातवें वेतनमान में रु.36600-116000/- प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर, उनके समक्ष दर्शायी गयी तिथि से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

क्रमांक	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम सर्व श्री	वर्तमान में पदस्थापना के कार्यालय का नाम	तृतीय समयमान वेतन मान स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5
1	81974055	Shri Akhilesh Kumar Jaiswal	Chief Engineer (PLG & Design.)	01/09/2015

उक्त तृतीय विकल्प समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)

म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि०, जबलपुर

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-60/ 2297
प्रतिलिपि:

जबलपुर, दिनांक 24-09-2018


- मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)/ (योजना एवं रूपांकन) म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि०, जबलपुर
- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि०, जबलपुर।
- मुख्य अभियंता (ट्रांस.पूर्व क्षेत्र) म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि०, जबलपुर।
- वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म०प्र०पाँ०मै०क०लि० जबलपुर।
- कार्यपालन अभियंता (वेबमास्टर) कार्या० मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) म०प्र० पाँ०ट्रा०क० लि०, जबलपुर।
- क्षेत्रीय लेखाधिकारी म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि०, जबलपुर।
- निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि०, जबलपुर।
- श्री अखिलेश कुमार जैसवाल रेखण् सहायक द्वारा - मुख्य यंत्री (योजना एवं रूपांकन) म०प्र०पाँ०ट्रा०क०लि०, जबलपुर।

- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अ. पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में म०प्र०पा०ट्रा०क०लि०, के आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30-12-2015 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।

ब. उक्त कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। इसके साथ ही उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लें कि संबंधित कर्मचारी ने 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि में गणना योग्य वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। तथा तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उन्हें, आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार, मात्र दो ही अवसरों पर (पदोन्नति अथवा उच्चवेतनमान) वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त किसी कर्मचारी को दो से अधिक अवसरों पर वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हो चुका है तब आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।

स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय को प्रेषित किया जावे।



अधीक्षण अभियंता

कार्या० मुख्य अभियंता (परी० एवं संचार)

म०प्र०पा०ट्रा०क०लि०, जबलपुर